

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14015/13/2008-अ.भा.से.(1)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3/ दिसंबर, 2008

### अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश की राज्य सिविल सेवा के एक सदस्य श्री अशोक देशवाल को भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 2007 की रिक्ति पर परीवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग में आबंटित करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति मध्य प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ द्वारा माननीय कैट, जबलपुर बेंच के समक्ष दायर ओ.ए.संख्या 375/2008 में अंतिम निर्णय के अध्याधीन है।



(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद

(हरियाणा)

सं.14015/13/2008-अ.भा.से.(1)-ख

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसंबर, 2008

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को संबंधित अधिकारी को अगले संप्रेषण हेतु एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. महालेखाकार, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली ।
4. भारत सरकार के ई.ओ., नई दिल्ली ।



(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

आंतरिक वितरण : एन.आई.सी. डी.ओ.पी.टी./अ.स.(एस.-11)/आर.ओ.(सी.एम.)/ए.आई.एस-  
111/ए.वी.डी.-1/10 अतिरिक्त प्रतियां ।